कार्यालय, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण
ट्रांसपोर्ट नगर, सहारनपुर रोड, देहरादून।

वाहन नीलामी शर्तें

1. वाहन **"जहां है जैसे है"** के आधार पर नीलाम किया जाना है।
2. वाहन का निरीक्षण किसी भी कार्य दिवस में प्राधिकरण कार्यालय में प्रातः 10.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक किया जा सकता है।
3. वाहन का न्यूनतम मूल्य निम्न प्रकार हैः–

क्र0 सं0	वाहन संख्या	मॉडल	न्यूनतम नीलामी मूल्य एवं जी0एस0टी0
1.	यू0के0 07 जीए 0843 (एम्बेस्डर कार)	13.07.2011	रू0 35,000–00 + GST
2.	यू0पी0 07 बी 8674 (ट्रेक्टर)	08.02.1993	रू0 48,500–00 + GST
3.	यू0पी0 07 बी 9739 (डोजर)	11.05.1993	रू0 1,55,000–00 + GST

4. इच्छुक बोलीदाता को पृथक पृथक से प्रत्येक वाहन की निलामी हेतु रू0 10,000–00 प्रति वाहन की जमानत राशि सीडीआर/एफडीआर जोकि सचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून के नाम बन्धक हो, बोली बोलने से पूर्व समिति के समक्ष प्रस्तुत करनी आवश्यक होगी।
5. नकद धनराशि स्वीकार्य नहीं होगी। इच्छुक बोलीदाता अपनी जमानत राशि नजारत अनुभाग में प्रकाशन तिथि से दिनांक 8-6-2022 तक जमा कर सकते हैं। वाहन नीलामी से सम्बन्धित नियम एवं शर्तें किसी भी कार्य दिवस में नजारत अनुभाग से ज्ञात की जा सकती है।
6. नीलामी की प्रक्रिया दिनांक 9-6-2022 को प्रातः 11.00 बजे प्राधिकरण सभागार में प्रारम्भ कर दी जायेगी।
7. उच्चतम बोलीदाता को कुल मूल्य, स्वीकृति आदेश के तीन दिन के अर्न्तगत जमा कराया जाना अनिवार्य होगा तथा तत्काल वाहन को उठाना होगा अन्यथा की स्थिति में कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।
8. असफल बोलीदाता की जमानत राशि दो सप्ताह के अर्न्तगत वापस कर दी जायेगी।
9. सफल बोलीदाता को आधार कार्ड अथवा वोटरकार्ड तथा पैन कार्ड की छायाप्रति प्रस्तुत करनी होगी। बोलीदाता के साथ नीलामी सभागार कक्ष में कोई अन्य व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकेगा।
10. प्राधिकरण कर्मचारी/अधिकारी तथा उनके पारिवारिक सदस्य नीलामी प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेंगे।
11. सफल बोलीदाता को नीलामी बोली राशि के अतिरिक्त जीएसटी जमा कराना होगा।
12. बिक्री के पश्चात् स्वामित्व परिवर्तन से सम्बन्धित शुल्क इत्यादि क्रेता को स्वंय वहन करने होंगे।
13. बोलीदाता के साथ नीलामी सभागार कक्ष में मात्र एक व्यक्ति प्रवेश कर सकेगा।
14. प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि बिना कारण बताये नीलामी निरस्त कर दें। सर्वाधिकार उपाध्यक्ष महोदय में सुरक्षित रहेंगे।
15. समस्त विवादों का क्षेत्राधिकार देहरादून न्यायालय परिक्षेत्र में मान्य होगा।

नजारत प्रभारी